सख्या:-11/2023/001-09आ0/23-5-23-02(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, बहराईच व मऊ के 03 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-1068बीजीबी/109बीजीबी/अना0भ0 का उन्न0/सुदृढ़ी0 का कार्य/22-23, दिनांक 09.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, बहराईच व मऊ के 03 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि में से **रू0 123.40 लाख (रू0 एक करोड़ तेईस लाख चालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन की कुल धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	32/2020/27आ0/23-5-20-2 (भवन)/2020, दि0 31.03.2020 एवं 81/2021/194आ0/23-5-21-02 (भवन) /2020, दि0 26.07.2021 एवं 06/2022/28आ0/23-5-22-02 (भवन)/2020, दि0 02.02.2022 एवं 12/2022/39आ0/23-5-22-02 (भवन)/2020, दि0 30.03.2022 एवं 31/2022/51आ0/23-5-22-50 (14)ईजी/2016, दि0 22.07.2022	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ में मल्टीलेवल पार्किंग का नि0र्माण कार्य।	1893.97	0.00	1893.97	1059.97	834.00	100.00
2	49/2021/91आ0/23-5-21-06 (भवन)/2021, दिनांक 23.03.2021 एवं 139/2021/385आ0/23-5-21-50 (83)ईजी/2014टीसी, दि0 23.12.21 एवं 46/2022/87आ0/23-5-22-06 (भवन)/2021, दि0 31.08.22	बहराइच में एल0आर0 पी0 रेस्ट हाउस कैम्पस में मीटिंग हाल का निर्माण कार्य।	63.66	0.36	63.30	53.30	10.00	06.80
3	33/2020/87आ0/23-5-20-2 (भवन)/2020टीसी, दि0 31.03.20 एवं 122/2021/193आ0/23-5-21-2 (भवन)/2020टीसी, दि0 09.11.21 एवं 30/2022/62आ0/23-5-22-2 (भवन)/2020टीसी, दि0 22.07.22	मऊ में नवसृजित निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मऊ के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	49.93	0.84	49.09	29.93	19.16	16.60
योग :-			**2007.56**	**01.20**	**2006.36**	**1143.20**	**863.16**	**123.40**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,23,40,000 (रूपये एक करोड़ तेईस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059600510400 अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्याः-11/2023/001-09आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी लखनऊ, बहराईच व मऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, बहराईच व मऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र व आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- अधीक्षण अभियन्ता, बहराईच-श्रावस्ती वृत्त व बलिया वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मऊ।
15- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
16- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0-इकाई-21, लखनऊ।
17- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।